न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –अमीलाल यादव आर.ए.एस.)

वाद सं.:– 01/34 जीसीएमएस सं.:–2023/66 दर्ज तिथि:– 27.04.2023

1. महेन्द्र सिंह पुत्र कल्याणसिंह उम्र 28 साल
2. बजरंग सिंह कल्याणसिंह उम्र 26 साल
3. मोहन सिंह कल्याणसिंह उम्र 13 साल नाबालिग बसंरक्षक बरफो देवी माता खुद
4. बरफो देवी पत्नी स्व0 कल्याणसिंह उम्र 60 साल

समस्त जातियान राजपूत निवासीयान डूमेडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....वादी

बनाम

1. रघुवीर सिंह
2. भवानी सिंह पुत्रान बद्री सिंह

समस्त बालिगान निवासीयान डूमेडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 हाल निवीयान ढाणी नोन्दावाली तन बानसूर तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर राज0

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित,
वादी अधिवक्ता–श्री रामकरण चौपडा।
प्रतिवादीगण– विजय बराला।
पेरोकार सरकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णय:–

दिनांक 23.09.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 314/0.15 है0, 319/0.19 है0 वाके ग्राम डूमेडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 जो विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

बयान की गई है, के वादीगण उपरोक्त सालिम आराजी के काबिज काश्तकार खातेदार चले आते है। उक्त हाल आराजी खसरा संख्या 314/0.15 है0 का साबिक खसरा संख्या 244/12 बिस्वा (जो साबिक खसरा संख्या 245/12 बिस्वा से बना है) एवं हाल आराजी खसरा संख्या 319 का साबिक खसरा संख्या 250/15 बिस्वा (जो साबिक खसरा संख्या 249/15 बिस्वा से बना है) है। जो मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 व 2028 से प्रमाणित है।

2. उक्त विवादित आराजी के साबिक रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2012 व 2015 में उक्त में उक्त आराजी के पूर्व खातेदार बद्रीसिंह पुत्र सुल्तानसिंह निवासी डूमेडा के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड चली आती है जिस साबिक राजस्व रिकॉर्ड में कोई बकाश्त व उपकृषक दर्ज नहीं है। उक्त विवादित आराजी वादीगण के पिता कल्याणसिंह व चाचा प्रहलादसिंह पुत्रान गंगूसिंह निवासी डूमेडा ने उक्त आराजी के पूर्व खातदार बद्रीसिंह पुत्र सुल्तानसिंह व लाड कंवर पत्नी रामसिंह राजपूत निवासी डूमेडा तहसील थानागाजी से दिनांक 25.04.1987 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा कीमतन खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। विवादित आराजी पर बरोज खरीद से ही वादीगण के पिता कल्याणसिंह व चाचा प्रहलादसिंह ने बिना किसी बाधा व रूकावट के कार्यकाश्त करते आ रहे है। वादीगण के पिता कल्याणसिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा चाचा प्रहलादसिंह भी नाऔलाद फोत हो चुका है। वर्तमान में सालिम आराजी पर वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आता है। वादीगण की विवादित आराजी से प्रतिवादीगण असल का या अन्य किसी का कोई हक सम्बन्ध व किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है।

3. उक्त विवादित आराजी बाद खरीद 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता व पति कल्याणसिंह पुत्र गंगूसिंह के नाम नामान्तकरण दर्ज मंजूर हो गया था तथा वादीगण के चाचा प्रहलादसिंह नाऔलाद फौत हो जाने के कारण विराससत इन्तकाल नहीं खोला गया। वादीगण के चाचा प्रहलादसिंह ने नाऔलाद फौत हो जाने पर उनके जायज वारिसान एकमात्र वादीगण ही है। इस प्रकार वादीगण सम्पूर्ण आराजी पर काबिज होकर काश्त रहते आ रहे है। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के बुजुर्गान ने राजस्व कर्मचारियों के मिलीभगत कर संवत 2028 में अपने नाम 1/2 हिस्ससा दर्ज कराकर खसरा संख्या 314 में उपकृषक साल 32 साल दर्ज करा लिया एवं खसरा नम्बर 319 में बकाश्त पांचा पुत्र गणेश साल 32 दर्ज करा लिया। और आज भी हाल रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता का नाम उपकृषक एवं पांचा पुत्र गणेश के नाम बकाश्त दर्ज है। विवादित आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कोई हक सम्बन्ध कब्जा किसी किस्म का नहीं है। ना ही प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर कब्जे काश्त रहे और ना ही आज मौके पर काबिज है। परन्तु अब प्रतिवादीगण वादीगण के कार्यकाश्त में बाधा उत्पन्न करते है। अपने नाम इंतकाल दर्ज कराकर दीगर लोगों को रहबन बय मुन्तकिल करने पर आमदा है। अन्त में वादी ने उक्त वाद पत्र बाबत् घोषणात्मक एवं दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार कर डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 314/0.15 है0, 319/0.19 है0 वाके ग्राम डूमेडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 के वादीगण को उपरोक्त सालिम आराजी

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी घोषित किया जावें। उपरोक्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम गलत अंकन एवं खसरा संख्या 314 में जो बकाश्त " चन्द्रा पुत्र गणेश मीना साकिन बीसूणी एवं उपकृषक साल 32 बद्रीसिंह, रामसिंह पिता सुल्तानसिंह एवं खसरा संख्या 319 में बकाश्त पांचा पुत्र गणेश साकिन बीसूणी को कलमजन कर सालिम आराजी वादीगण के नाम दुरूस्ती कराने का अधिकारी घोषित किया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा इस पाबन्द फरमाया जावे कि वो उपरोक्त हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा ना करे, वादीगण को इससे बेदखल ना करें, वादीगण के कुल कार्यकाश्त करने जोत बाह करने फसल समेटने लाने लेजाने में किसी प्रकार से बाधा ना डाले। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 गलत इन्द्राज के आधार पर उपरोक्त आराजी को अपने नाम का गलत लाभ उठाकर दीगर लोगों को रहन बय मुन्तकिल ना करें। शक्ल मौका आराजी ना बदले।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 असालतन–वकालतन उपस्थित होकर इकबाल पेश कर निवेदन किया किया कि यदि उक्त दावा वादी डिक्री कर दिया जाये तो उनको कोई उज्र ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से पैरोकार सरकार ने असालतन–वकालतन उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत कर उक्त वादपत्र पर कोई ऐतराज जाहिर नहीं किया। प्रतिवादीगण की ओर से इकबाल दावा प्रस्तुत करने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रथम सुनवाई पर निस्तारित किये जाने के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–15 नियम–1 का उद्धरण इस प्रकार है:–

ORDER XV

Disposal of the Suit at the first hearing

Parties not at issue. *—Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.*

5. वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेजीय साक्ष्य स्वीकार किये जाकर निम्न प्रकार प्रदर्श अंकित कर शामिल पत्रावली किये गये:–

1. जमाबन्दी संवत्–2074–77 खाता संख्या–4 वाकै ग्राम डूमेडा
2. जमाबन्दी संवत्–2074–77 खाता संख्या–2 वाकै ग्राम डूमेडा
3. असल बयनामा दिनांक 25.04.1987
4. मिलान क्षेत्रफल संवत 2060
5. मिलान क्षेत्रफल संवत 2015

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज.

6. जमाबन्दी संवत 2012 से 2014
7. जमाबन्दी संवत 2015
8. जमाबन्दी संवत 2019 से 2022
9. खसरा गिरदावरी संवत 2016 व 2019

4. पत्रावली पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम को कलमजन कर सालिम आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। उपरोक्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम गलत अंकन एवं खसरा संख्या 314 में जो बकाश्त " चन्द्रा पुत्र गणेश मीना साकिन बीसूणी एवं उपकृषक साल 32 बद्रीसिंह, रामसिंह पिता सुल्तानसिंह एवं खसरा संख्या 319 में बकाश्त पांचा पुत्र गणेश साकिन बीसूणी को कलमजन कर सालिम आराजी वादीगण के नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा इस पावन्द फरमाया जावे कि वो उपरोक्त हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा ना करे, वादीगण को इससे बेदखल ना करें, वादीगण के कुल कार्यकाश्त करें।

5. मैनें वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबन्दी संवत्–2074–77 वाकै ग्राम डूमेडा तहसील थानागाजी के नवीन खाता संख्या–4 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
1. कल्याण सिंह पुत्र गंगूसिंह हिस्सा 1/2 हिस्सा जाति राजपूत सा. देह खातेदार अविव. बकाश्त चन्द्रा पुत्र गणेश मीना सा. बीसूणी 2. बदरीसिंह पुत्र सुल्तानसिंह हिस्सा 1/4 हिस्सा जाति राजपूत सा. देह खातेदार अविव. उपकृषक सा 32 बद्रीसिंह रामसिंह पि. सुल्तानसिंह 3. रामसिंह पुत्र सुल्तानसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	4	314	0.15 है0

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबन्दी संवत्–2074–77 वाकै ग्राम डूमडा तहसील थानागाजी के नवीन खाता संख्या–2 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
1. कल्याण सिंह पुत्र गंगूसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा. देह खातेदार अविव. बकाश्त पांचा पुत्र गणेश सा. बीसूणी उपखण्ड 32 साल 2. बदरीसिंह पुत्र सुल्तानसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार 3. रामसिंह पुत्र सुल्तानसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	2	319	0.19 हे0

6. उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के बाद पाया गया कि जमाबन्दी संवत्–2074–77 वाकै ग्राम डूमेडा तहसील थानागाजी के नवीन खाता संख्या–2 व 4 में वादी के नाम के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज है। साथ ही बकाश्त व उपकृषक भी दर्ज है। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 25.04.1987 द्वारा उक्त आराजी में से अपना हिस्सा वादी के पिता कल्याणसिंह व वादीगण के चाचा प्रहलादसिंह को बेचान कर दी। अब उक्त आराजी पर उनका कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने इस सम्बन्ध में इकबाल दावा प्रस्तुत कर निवेदन कर रखा है कि यदि उक्त वाद–पत्र डिक्री कर दिया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से पैरोकार सरकार ने जबाव में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः हाल राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम गलत अंकन एवं खसरा संख्या 314 में जो बकाश्त " चन्द्रा पुत्र गणेश मीना साकिन बीसूणी एवं उपकृषक साल 32 बद्रीसिंह, रामसिंह पिता सुल्तानसिंह एवं खसरा संख्या 319 में बकाश्त पांचा पुत्र गणेश साकिन बीसूणी को कलमजन कर सालिम आराजी वादीगण के नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. साथ ही प्रकरण में घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः उक्त अनुतोष का विश्लेषण हेतु स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज सालिम आराजी के वादीगण के नाम इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जाकर एकल खातेदार घोषित किया जावेगा। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज सालिम आराजी वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावेगा। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज सालिम आराजी वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावेगा। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

अतः हाल सह काश्तकार बाद प्रकरण में बाद घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज सालिम आराजी वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावेगा। वादीगण का उक्त आराजीयात पर एकल खातेदार होने पर दीगर किसी का वादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः उक्त अनुतोष भी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत घोषणात्मक एवं नाम दुरूस्ती वादी के वादपत्र, इकबाल दावा व पैरोकार सरकार के जबाव एवं वादी द्वारा प्रस्तुत स्वयं के अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खाता संख्या 02 खसरा संख्या 319 एवं खाता संख्या 04 खसरा संख्या 314 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम को तथा हाल आराजी खसरा संख्या 314 में जो बकाश्त " चन्द्रा पुत्र गणेश मीना साकिन बीसूणी एवं उपकृषक साल 32 बद्रीसिंह, रामसिंह पिता सुल्तानसिंह एवं खसरा संख्या 319 में बकाश्त पांचा पुत्र गणेश साकिन बीसूणी को कलमजन कर सालिम आराजी का वादीगण को खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया जाता है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

बेदखल न करे। ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(अमीलाल यादव आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –अमीलाल यादव आर.ए.एस.)

वाद सं.:– 01/34 जीसीएमएस सं.:–2023/66 दर्ज तिथि:– 27.04.2023

1. महेन्द्र सिंह पुत्र कल्याणसिंह उम्र 28 साल
2. बजरंग सिंह कल्याणसिंह उम्र 26 साल
3. मोहन सिंह कल्याणसिंह उम्र 13 साल नाबालिग बसंरक्षक बरफो देवी माता खुद
4. बरफो देवी पत्नी स्व0 कल्याणसिंह उम्र 60 साल

समस्त जातियान राजपूत निवासीयान डूमेडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....वादी

बनाम

1. रघुवीर सिंह
2. भवानी सिंह पुत्रान बद्री सिंह

समस्त बालिगान निवासीयान डूमेडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 हाल निवीयान ढाणी नोन्दावाली तन बानसूर तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर राज0

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ता–श्री रामकरण चौपडा।
प्रतिवादीगण– विजय बराला।
पेरोकार सरकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्री:–

वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत घोषणात्मक एवं नाम दुरूस्ती वादी के वादपत्र, इकबाल दावा व पैरोकार सरकार के जबाव एवं वादी द्वारा प्रस्तुत स्वयं के अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

हाल आराजी खाता संख्या 02 खसरा संख्या 319 एवं खाता संख्या 04 खसरा संख्या 314 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम को तथा हाल आराजी खसरा संख्या 314 में जो बकाश्त " चन्द्रा पुत्र गणेश मीना साकिन बीसूणी एवं उपकृषक साल 32 बद्रीसिंह, रामसिंह पिता सुल्तानसिंह एवं खसरा संख्या 319 में बकाश्त पांचा पुत्र गणेश साकिन बीसूणी को कलमजन कर सालिग आराजी का वादीगण को खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया जाता है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे। ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 23.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(अमीलाल यादव आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०